न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 31/2023

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

1 भैराराम पुत्र मगुलाराम

2 कालूराम पुत्र आसूराम

3 लक्ष्मणराम पुत्र मगुलाराम

सभी जाति बिश्नोई निवासी मदरूप नगर

तहसील लोहावट जिला-फलौदी

1. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :- प्रार्थीगण की ओर से :- अधिवक्ता श्री अशोक कुमार कड़वासरा

:: निर्णय ::

दिनांक 14.02.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अन्य सयुक्त खातेदारान की खातेदारी भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल दयाकोर के राजस्व ग्राम मदरूपनगर के खसरा नम्बर 762/597 रकबा 6.0865 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है जिसकी चालू चौसाला जमाबन्दी व नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के कणा माठ खुर्द बुर्द होने एवं सीमाचिन्ह नदारद होने हो गये है निशानात नही होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का विकास कार्य नही करवा पा रहे है। इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन जरिये हल्का पटवारी से करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार ने प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर हल्का पटवारी को सीमांकन करने का आदेश दिया गया। हल्का पटवारी के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का पैमाईश कर कच्चे मुटाम स्थापित करवाये गये। जिन कच्चे मुटामो पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए पत्थर रोप कर पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी है। हल्का पटवारी के द्वारा किये सीमांकन की फर्द संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन की पत्थरगढी नही होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में बोई जाने वाली फसल की सुरक्षा नही कर पा रहे है और न ही अपनी भूमि का विकास कार्य करवा पा रहे है हर वर्ष बोई जाने वाली फसल को आवारा पशुओ द्वारा नष्ट कर दि जाती है। जिससे मजबूर विवश होकर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में बोई जाने वाली फसल की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाये जाने का यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की कणा माठो पर सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण सीमाओं को चिरस्थाई करवाने के लिए पत्थर गढ्डी करवाना चाहते है तथा पत्थर गढ्डी हो जाने से खेत की भुमि का समूचित विकास एवं खेत की सुरक्षा कर सकेगे। और फसलों को नुकशान से बचाया जा सके और पडौसियान के बीच अनावश्यक सीमा विवाद उत्पन्न होने से बचने के लिए स्वंयके खेत की कृषि भूमि का राजस्व टीम से सीमांकन करवाकर पत्थर गढ्डी करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल दयाकोर के राजस्व ग्राम मदरूपनगर के खसरा नम्बर 762/597 रकबा 6.0865 हैक्टेयर भूमि की सीमाओ का राजस्व टीम गठीत करवाकर, सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी करवाने का आदेश तहसीलदार को प्रदान करावें और मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भार साधक अधिकारी को जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए पाबन्द करावें।

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त भूमि में बोई फसल एंव प्राकृतिक पैदावार की सुरक्षा आवारा जानवरों से स्थायी तारबंदी जाली के अभाव में नही होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल दयाकोर के राजस्व ग्राम मदरूपनगर के खसरा नम्बर 762/597 रकबा 6.0865 हैक्टेयर भूमि की सीमाओ का राजस्व टीम गठीत करवाकर, नियमानुसार सीमांकन किया जाकर सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए संबंधित पुलिस थाना से ईमदाद ली जाकर उपरोक्त खसरा की सीमाओं की पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.02.2025 को सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

प्रदीप कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

Scanned with CamScanner